कार्यालय संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा

क्रमांक : सान्याअवि / लेखा / निविदा / 2025–26 / 9207 दिनांक : 09-02-2026

ई–निविदा सूचना 04 / 2025–26

श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदयए सा.न्या.अ.वि. राज. जयपुर के पत्रांक एफ.7(2)(9) (2474) पार्ट.2 / रा.छा. / ब.आ. / सान्याअवि / 2024 / राजकाज न. 19517004 दिनांक 23.12.2025 की अनुपालना एवं विभागीय पत्रांक एफ 7(2) / रा.छा / बजट / सान्याअवि / 25 / 2024 / (पार्ट.2) / 922 दिनांक 5.12.2025के द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार कोटा जिले में संचालित राजकीय छात्रावासो में अनावर्तक सामग्री यथा. बेडशीट तकिया, एवं तकिया कवर व खेस इत्यादि क्रय किये जाने है। अतः जीएसटी रजिस्टर्ड बोनाफाईड विर्निमाता / फर्मो / संस्था / कंपनी / ऐजेन्सी से निम्नानुसार ई.निविदाएं आंमत्रित की जाती है

ई–निविदा सं.	विवरण	अनुमानित लागत(राशि लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रूपये में)	ई–प्रासेसिंग फीस (रूपये में)	ई–दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने दिनांक एवं समय	ई–बोली दस्तावेज अपलोड कराने की अंतिम तिथि एवं समय	ई–बोली (तकनीकी) खोलने की दिनांक एवं समय
ई–निविदा सं. 04	बेडशीट तकिया, एवं तकिया कवर व खेस	13.12	26240	500 / –	500 / –	09.02. 2026 को सायं 4.00 बजे से	दिनांक 18. 02.2026 को सायं 04.00 बजे तक	दिनांक 19.02. 2026 दोपहर 11.00 बजे

1. निविदा दस्तावेज मय शर्तें वेबसाईट राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/www.eroc.rajasthan.gov.in and http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
2. ई–बोली केवल http:/www.eroc.rajasthan.gov.in पर ही स्वीकार की जायेगी। वित्तीय बोली / प्राईस बोली के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू. (BOQ) में ही राशि का अंकन किया जाना है।
3. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा (राज.) में दिनांक 18.02.2026 को सायं 04.00 बजे तक निम्नानुसार जमा करानी अनिवार्य है:–

क्र.सं.	शुल्क विवरण	भुगतान का प्रकार	देय	Payable at
1	निविदा शुल्क	Through E-Gras Challen Budget Head 0075-00-800-52-01	Joint Director, Social Justice and empowerment Department,Kota	kota
2	बोली प्रतिभूति (जिस निविदा हेतु आवेदन किया जा रहा है उसकी अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	Demand Draft	Joint Director, Social Justice and empowerment Department,Kota	kota
3	ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	Through E-Gras challen Budget Head 8658-00-102-16-01	MD, RISL, Jaipur	jaipur

4. ई–निविदा (तकनीकी / क्वालिफाईड बोली) दिनांक 19.02.2026 दोपहर 11.00 बजे संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा (राज.) में उपस्थित बोलीदाता / संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
5. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त का अधिकार अधोहरताक्षरकर्ता को होगा।

(सविता कृष्णियां)
संयुक्त निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा

क्रमांक : सान्याअवि / लेखा / निविदा / 2026 / 9208 - 12 दिनांक : 09/02/ 2026

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में जिनकी प्रकाशित प्रतियों की संख्या 50 हजार प्रतियो से अधिक हो, में डी.पी.आर. दरो पर न्यून्तम स्पेस में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय (छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राज. जयपुर।
4. श्रीमान अति.निदेशक (आई. टी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड जिला कलक्टर कार्यालय / जिला परिषद / कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
Signature valid
कोटा

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 19:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20419884

राजस्थान सरकार
कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा
ई–निविदा आमंत्रण सूचना सं. 04 / 2025–26
तकनीकी निविदा प्रपत्र

श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, के राजकाज पंत्राक 19517004 दिनांक 23.12.2025 की अनुपालना में कोटा जिले में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासो में उपयोग हेतु बेडशीट तकिया एवं तकिया कवर व खेस क्रय एवं आपूर्ति किये जाने हेतु रजिस्टर्ड बोनाफाईड विनिर्माता / फर्मो / संस्था / कम्पनी / एंजेसी से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ई दर संविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रस्तुत करनें वाली संस्था / फर्म / एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता..

   ....

   ई–मेल आईडी ....मोबाईल..

2. प्रौपराईटर का नाम एवं स्थायी पता..
3. प्रौपराईटर का आधार कार्ड................................
4. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 500 / –रूपये जमा कराने का विवरण– Through E-Gras Challen Budget Head 0075-00-800-52-01 चालान नम्बर.. दिनांक ....
5. ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500 / – रूपये जमा कराने का विवरण –

   Through E-Gras Challen Budget Head 8658-00-102-16-01 चालान नम्बर............................ दिनांक ....
6. बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत रूपये 26240 / – जो कि संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा के पक्ष में जारी हो जमा कराने का विवरणः–

   डी.डी. / बैंकर चैक संख्या .... दिनांक......................................
7. संस्था के बैंक खाते का विवरण :–

   (अ) बैंक खाते मे उल्लेखित नाम (बैंक पासबुक अनुसार)..

   (ब) बैंक का नाम व शाखा ....

   (स) बैंक खाता संख्या ....आईएफएससी कोड..

8. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण –

क्र. सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वर्ष	पंजीकरण दिनांक
01.	वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) छाया प्रति			
02.	आयकर (पैन) छाया प्रति			
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम .1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 / 2013 या के अन्तर्गत			
04	दिसम्बर–2025 तक का जीएसटी जमा कराने होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र / चालान की कॉपी			
05.	राज्य / केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट नही होने का 100 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र			
06.	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन स्वीकृत और राजस्थान में स्थित और इस रूप में उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि हो तोः–			
07	तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर 50.00 लाख रूपये से कम न हो। टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित (WITH UIDN NO.) दस्तावेज ई–निविदा के साथ में अपलोड			
08.	निविदा मे वांछित अन्य दस्तावेज :–			

उक्त सभी रजिस्ट्रेशन एंव दस्तावेजो के संबंध में राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक / स्वंय द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

यदि मेरे / हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कार्यालय को बिना किसी पत्र / नोटिस के मेरी / हमारी अमानत राशि जब्त करने एंव उक्त निविदा को निरस्त करने का पुर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा को प्रदत करता हूँ / करते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.01.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर
संस्था / फर्म / एजेन्सी की सील

RajKaj Ref No.: 20419884

राजस्थान सरकार
कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा
ई–निविदा आमंत्रण सूचना सं. 04/2025–26
निविदा की सामान्य शर्तें

1. ई–निविदा के लिए बोलीदाता का सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (DSC) होना आवश्यक है। तकनीकी बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक तक निविदा फार्म शुल्क राशि 500/– Through E-Gras Challan Budget Head 0075–00–800–52–01. वोली प्रतिगुति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि Joint Director, Social Justice and Empowerment Deparment,Kota के नाम तथा ई बोली प्रक्रिया शुल्क राशि 500/- Through E-Gras Challan Budget Head 8658–00–102–16–01 में इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।

2. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2 प्रतिशत एंव धरोहर राशि (परफोर्मेन्स सिक्योरिटी) निविदा राशि की 5 प्रतिशत होगी।

3. MSME बोलीदाता को बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट प्राप्त करने के लिये वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं संशोधन दिनांक 29.08.2018 के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा कोई छूट देय नही होगी।

3.तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व निविदा दाता/फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे पर भौतिक रूप से बेडशीट तकिया, एवं तकिया कवर व खेस (संलग्न स्पेशिफिकेशन अनुसार) का नमूना जमा कराना होगा जो कि निविदा में दी गई स्पेशिफिकेशन या उससे उच्च स्पेशिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, उक्त के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा में असफल निविदादाता को समस्त नमूना सामग्री स्वयं के खर्चे पर इस कार्यालय से वापिस उठानी होगी।

4.कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा प्रपत्र पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी। निविदा दो बिड सिस्टम पर आधारित है जिसमे से तकनीकी निविदा जो PDF File में होगी व वितीय निविदा जो BOQ फाईल में अपलोड होगी जिसको www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय निविदा में दरे अंकित करते समय यह ध्यान रखा जायें कि जो मैक/स्पेसिफिकेशन अंकित किया गया है उसी सामान की दरें वित्तीय निविदा में अंकित की जावें। किसी अन्य प्रपत्र या दस्तावेज पर दी गई दरे मान्य नहीं करेगी। प्रथमतः तकनीकी निविदा खोली जायेगी। केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के द्वारा प्रस्तुत नमूने का परीक्षण किया जावेगा उक्त परीक्षण मे नमूना निविदा में दी गई स्पेशिफिकेशन या उससे उच्च स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा में प्रति बेडशीट तकिया, एवं तकिया कवर व खेस की दर बाजार में प्रचलित दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

5. ई–तकनीकी बोली प्रपत्र पेन/स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेंसिल से भरी बोली पर विचार नही किया जायेगा। बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. निविदादाता को इस प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 01 व 02 पर अंकित सभी दस्तावेजो की छाया प्रतियां स्व प्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी।

7. नमूना परीक्षण इस बोली प्रक्रिया की प्रारम्भिक व आवश्यक शर्त है, जिसके आधार पर ही बोली प्रक्रिया सम्पन्न होगी। अतः नमूना जांच के लिए सामग्री का कवर हटाकर जांच भी बोलीदाता को स्वंय ही करवानी होगी जिसके लिए बोलीदाता मना नहीं कर सकेगा। जांच के दौरान सामग्री किसी भी प्रकार से डेमेज या कटता–फटता है तो उसकी भरपाई इस कार्यालय द्वारा नहीं की जायेगी।

9. समान दरें प्राप्त होने पर तकनीकी समिति द्वारा सामग्री की क्वालिटी/गुणवता मापदण्ड में जिस निविदादाता के सेम्पल दिये गये स्पेशिफिकेशन से समकक्ष या उच्च गुणवत्ता का निर्धारित किया जायेगा, उसमें उच्च गुणवत्ता वाले के चयन को प्राथमिकता दी जायेगी।

10. निविदा सूचना में वर्णित सामग्री की मात्रा/संख्या अनुमानित है। मात्रा/संख्या मे कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

11. कार्यो के सूचारू क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।

12. जब कभी आवयश्क हो उपापन की विषय वस्तु की अपेक्षित मात्रा प्रदाय के लिए संविदाधारक फर्म को संविदाकृत कीमत पर प्रदाय का स्थान, परिदान अनुसूची इत्यादि वर्णित करते हुए प्रदाय आदेश दिया जायेगा।

13. **बोली प्रतिभूतिः** बोली के साथ, बोली सूचना अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

   1. बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद लौटायी जाएगी।
   2. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

14. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit):

   1. बोली स्वीकृत होने की स्थिति में 3 दिवस में सफल निविदा दाता को निर्धारित प्रपत्र में स्वयं के खर्चे पर 500/– रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर एक अनुबन्ध भरना होगा जिसकी एक प्रति निःशुल्क कार्यालय, संयुक्त निदेशक, सान्याअदि, कोटा (राज) को देनी होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

2. सामग्री आपुर्ति एंव नियमों को भली प्रकार से निभाने के लिए कुल निविदा राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूत्ति के रूप में जमा करानी होगी।
3. बोली को समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को बोलीदाता चाहे जाने पर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
4. बोली कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5 बोली कार्य संपादन प्रतिभूति राशि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी जा सकती है।
6. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपका प्रविभूति राशि जमा कराने में मुक्त होगे।

15. बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक में समपहत किया जाएगा।
1 जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
2 जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
3 बोली प्रतिभूति राशि को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
4.करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रति (Counter Filo) निशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।
16. निविदादाता द्वारा राज्य/ केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 100 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र ई–निविदा के साथ अपलोड करना होगा। स्टाम्प निविदा जारी होने के बाद की तिथि का होना चाहिए तथा मूल शपत्र पत्र, निविदा/अमानत राशि के डीडी के साथ निर्धारित समय तक कार्यालय में जमा करवाना होगा।
17. निविदादाता यदि निविदा खुलने के बाद परन्तु अनुमोदन/स्वीकृति से पूर्व अपनी दरों में परिवर्तन करें या निविदा वापस लेने या आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का अनुबन्ध समय पर नहीं करें या समय पर सम्पादन सिक्युरिटी राशि जमा नही करावे या समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करावें या अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करें तो निविदा निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी एंव नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. अस्वीकृत निविदाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जायेगी किन्तु निम्नांकित परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
(क) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद, किन्तु उसकी स्वीकृति के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है अथवा स्वेच्छा से सशोधित करता है।
(ख) यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।
(ग) यदि निविदादाता कार्य आदेश मिलने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
(घ) यदि निविदादाता कार्य आदेश के अनुसार सामग्री सप्लाई नहीं करता है।
19. सफल निविदादाता अपने कार्यों या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी को नहीं सीपेगा और ना ही उप बेचान करेगा ।
20. उपापन अधिकारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के विनिर्माण परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान था उसके बाद, जैसा भी निश्चित किया जाये, माल, उपकरणों, मशीनों की सामग्री एवं कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।
21 परीक्षणों के मामले में बोली दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया जायेगा।
22. **विशेष विवरण स्पेशिफिकेशन्स :–**
1. प्रदाय की गयी सभी वस्तुए बोली में निर्धारित तकनीकी स्पेशिफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।
2. क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेशिफिकेशन्स के अनुरूप हैं. किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
3.वारंटी एवं गारटी का खंड बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स /वस्तुओं खरीदे जाने वाले उसं माल/स्टोर्स /वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य क बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया गया हो. यदि उक्तः मालों/स्टोर्स /वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (ताकि उस सबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स /वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर मालों/स्टोर्स /वस्तुओं विकेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है. बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षत्ति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
23.सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेशिफिकेशन्स एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो यहीं परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामों में विहित स्पेशिफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

24. **परीक्षण प्रभारः**– परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

25. **रद करना** (Rejection)

1. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें उपापन समिति द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी की स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
2. तथापि, यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवयश्कता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जाए तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अमिलिखित किए जाएगे अनुमोदित दरों में से उपयुक राशि की कटौती करेगा। इस प्रकर की गयी कटौती अनितम होगी।

26 रद्द गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 03 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

27. बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उतरदायी होगा ताकि उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा मे प्राप्त हो सके किसी प्रकार की हानि, क्षति, टुटफूट या किसी कमी के होने के मामले में बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

28. सुपुर्दगी अवधि – बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम 15 दिवस में आपूर्ति करनी होगी। अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः

1. **मात्रा की सीमाः**– आदेश फिर से देना : यदि बोली सूचना में दर्शित मात्र से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Order) भी बोली में दी गई शर्तों पर दिए जा सकेगें, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (बोली सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित मोली द्वारा या अन्यथा प्रकार वो लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

29. **भुगतान :–**

1. सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदात्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।
2. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब ये परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगें।
3. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार कटौतियों (टी.डी. एस. इत्यादि) की जायेगी।
4. बिल का भुगतान निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये बजट के अनुसार किया जावेगा। यदि किन्ही तकनीकी कारणों से बिलों का भुगतान नही हो पाता है, तो भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए कार्यालय कोई जिम्मेदारी नही होगी एवं बजट की उपलब्धता एवं निदेशालय के निर्देशानुसार बिलों का भुगतान किया जावेगा।
5. कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होंगा। स्पेसिफिकेशन्स अुनसार सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने पर बिल का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. बिल के साथ फर्म का बैंक विवरण भी सलंग्न करायें।

30. **वसूलियांः–** परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (लिकवीडेटेड डेमेजस) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

31. बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का आशय है कि उसके द्वारा बोली को सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं बोली में उल्लेखित सभी शर्ते बोलीदाता को स्वीकार्य हैं।

32. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द किया जा सकेगा। बोली स्वीकार करने की स्थिति में भी इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा। जब तक कि उपापन अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।

33. उपापन समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद करने या जिन वस्तुओ कि लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा। तथा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपापन समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

34. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/ नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 को नियम /शर्तों एवं बोली प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम एवं शर्ते मान्य होगे।

35. बोली में संशोधन बोली जारी मारने के उपरान्त http://sppp.rajasthan.gov.in / http://eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर ही किये जायेगें। बोलीदाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

36. बोली स्वीकृत किए जाने से पूर्व/पश्चात् कार्यालय के अधिकारी द्वारा यह सत्यापन किया जा सकता है कि बोलीदाता के पास पर्याप्त मात्रा में तथा उपयोग योग्य सामान उपलब्ध है या नहीं। क्या यह उपापन संस्था के लिए उपयुक्त पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराये जाने में सक्षम हैं अथवा नहीं।

37. यदि सफल निविदादाता सामग्री आपुर्ति बीच में छोडकर चला जाता है। अथवा अनुबन्ध की शर्तें के अनुसार नहीं करता है तो ऐसी दशा में संयुक्त निदेशक, सामाजिक व्याय एवं अधिकरिता विभाग कोटा निविदादाता जोखिम एवं लागत पर अन्य वैकल्पिक करवाने का अधिकार होगा एवं उसकी वसूली संबंधित निविदादाता से की जावेगी।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। कानूनी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा, राजस्थान होगा।

39. सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।

40. सामग्री प्रदायकर्ता का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जमा करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा को होगा।

41. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित किये गये स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड में ही करनी होगी। अगर सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड के अनुसार नहीं की जाती है तो भुगतान नहीं किया जाकर उपापन संस्था जारी कार्यादेश को रद्द कर सकेगी।

42. समस्त सामग्री बाजार में प्रचलित उच्च ब्रान्ड/गुणवता में होनी चाहिए।

43. निविदादाता निविदा प्रपत्र भली प्रकार से पुर्ण रूप से भरकर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एंव फर्म की मौहर अंकित करके पीडीएफ फाईल को निर्धारित दिनाक एवं समय तक www.eproc.rajasthangov.in वेबसाईट पर अपलोड हो जाना चाहिये।

44. प्राप्त निविदाये उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय को खोली जायेगी। यदि नियम समय पर कोई प्रतिनिधी उपस्थित नही होता है, तो उपापन समिति निविदा नियमानुसार निविदा खोल सकेगी। निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर निविदा अगले दिन खोली जाएगी।

45. दरे शब्दों एंव अंको दोनो में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नही होना चाहिए। यदि अंको और शब्दो दरों मे कोई अन्तर होगा तो दोनो में से जो भी न्यूनतम होगी उसी को अंतिम माना जावेगा।

46. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर बिल का भुगतान उपलब्ध बजट से नियमानुसार किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

47. आदेशानुसार अथवा अनुमोदित गुणवत्ता का कार्य सम्पादित नहीं करने या कार्य करने में असमर्थ होने पर वांछित कार्य अन्य फर्म से करवाये जाने की दशा में अन्तर राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी फर्म से की जायेगी।

48. सामग्री की दरें सभी करों एंव प्रभारों सहित (एफ.ओ.आर.) रहेगी।

49. निर्धारित गारन्टी/वारन्टी के लिए बोलीदाता बाध्य होगा।

50. सामग्री की आपूर्ति आपूर्ति कार्यादेश से 15 दिवस में जिले के अधीन संचालित छात्रावासों (सूची सलंग्न, Annexure-F) में निविदादाता को अपने खर्च पर करनी करनी होगी। जिसके लिए अलग से भाडा देय नही होगा अर्थात् उक्त सामग्री का एफओआर जिले में संचालित छात्रावासों में करना होगा।

51. कार्यादेश निविदादाता के स्थानीय पते पर या ईमेल द्वारा दिया जायेगा।

52. निविदादाता को फर्म को पंजीकरण (कम्पनी एक्ट/फर्म/उद्योग विभाग, राजस्थान में पंजीकरण/ डीलरशीप ऑथोराईजेशन इत्यादि) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

53. निरीक्षण–विभाग/कार्यालय के द्वारा आपूर्ति सामग्री की भौतिक जांच की जा सकेगी।

54. **परिदान कालावधि**–जिस बोलीदाता की बोली स्वीकृत हो चुकी है, वह इस कार्यालय द्वारा आदेश दिये जाने पर आदेश में वर्णित अवधि में सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। समय पर सामग्री की व्यवस्था में असफल रहने पर परिनिर्धारित राशि की वसूली की जावेगी।

55. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damage) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 %

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 %

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 %

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %

(ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूर्ण करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी ... है, किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा को घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा ... पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के याद करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

56. अन्य शर्ते सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
57. न्यूनतम दर दाता का निर्धारण अलग–अलग सामग्री की न्यूनतम राशि (L–1) या क्रय की जाने वाली सम्पूर्ण सामग्रियों की न्यूनतम राशि (L–1) के आधार पर किये जाने का निर्णय लेने हेतु उपापन समिति अधिकृत है।
58. वित्तीय बोली खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नैगोशिएशन किया जा सकता है।
59. कोई भी दुर्घटना होने पर यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है. तो क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए बोलीदाता ही उत्तरदायी होगा।
60. अनुमोदित फर्म को अपने प्रतिनिधि को कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क रहने के लिए पाबन्द करना होगा जो समय–समय पर क्रय आदेशों को प्राप्त कर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
61. प्रति वर्ष के टर्नओवर का विवरण गत तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर 50.00 लाख रूपये से कम न हो। टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित (WITH UIDN NO.) दस्तावेज ई–निविदा के साथ Annexure-E में अपलोड करने होंगे।
62. निविदा में अनुमोदित की गई दरें अनुबंध की दिनांक से **31.03.2026** तक या निदेशालय के निर्देशानुसार तक मान्य होगी या राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के निर्णय के अनुसार मान्य होगी एवं भविष्य में भी सफल निविदाता को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के आदेशों की पालना करनी होगी।

नोटः– निविदा फॉर्म में टंकण की त्रुटि होने की दशा में GF&AR में वर्णित शर्ते ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।

(सविता कृष्णियां)
संयुक्त निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
कोटा

निविदा सूचना एवं उपरोक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित 01 से 62 तक की समस्त शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लिया है तथा निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिसे मानने हेतु फर्म/निविदादाता सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
संस्था/फर्म/एजेन्सी की सील

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

एस.आर.प्रारूप–11
निविदादाता की घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते है कि मैंने /हमने जिन सामानों /सामग्री के लिए निविदा दी है की समस्त जानकारी /शर्तों को मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/ हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है, एवं उनका/उनके /मैं/हम बोनाफाईड निर्माता/थोक विक्रेता /सोल वितरक /प्राधिकृत डीलर/सोलसेलिंग/विपणन/एजेन्ट हूँ / हैं।
तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 39 के अनुसार हमारी फर्म को अथया हमारी फर्म की किसी भी सामग्री को पूर्व में किसी विभाग/ राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred)/ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।

तथा यह घोषणा अथवा अन्य कोई भी कथन असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी /हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण पता

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा

निविदादाता द्वारा घोषणा

(100 रुपए के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पर मय नोटेरी)

मैं/हम घोषणा करता हूँ करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों उपकरणो/सेवाओं आदि की सामग्री आपूर्ति का कार्य जहाँ कहीं भी किया है। उस कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण मुझे/हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हैं/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणो/ सेवाओं आदि की सामग्री आपूर्ति के सन्दर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदाता के हस्ताक्षर मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

मैं /हम संयुक्त निदेशक , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना क्रमांक ....दिनांक........................वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण में वर्णित समस्त तथा संलग्न पत्रो (जिस समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है।) मे दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे / हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक / प्रक्रियात्मक / मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्यात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए में हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/ रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरूद्ध कानूनी / विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

संलग्न दस्तावेज की सूची

क्र. सं.	नाम दस्तावेज/प्रमाण पत्र	नत्थी संख्या
01.	वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) छाया प्रति	
02.	आयकर (पैन) छाया प्रति	
	नविदादाता का आधार कार्ड	
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम . 1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/2013 या के अन्तर्गत	
05	दिसम्बर–2025 तक का जीएसटी जमा कराने होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र/चालान की कॉपी	
06.	राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 100 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र	
07.	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन स्वीकृत और राजस्थान में स्थित और इस रूप में उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि हो तोः–	
08	तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर 50.00 लाख रूपये से कम न हो। टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित (WITH UIDN NO.) दस्तावेज ई–निविदा के साथ में अपलोड	
09.	निविदा मे वांछित दस्तावेजः–	

निविदादाता के हस्ताक्षर...

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

Annexure - A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is conside4red to be a situation, in which a party has interests that could improperly influence that part's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive of have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder in involved. However, this does not limit the inclusion of the some subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or nay of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that the subject or the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date: Signature of bidder with seal

Place:

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 16:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20419884

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our bid submitted to Join Director, Social Justice and Empowerment Department, kota for supply of tender items from the date of issuing the work order in response to their notice inviting bids no .... date........... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public procurement Act. 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding document issued by the procuring entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state govt. or any local authority as specified in the bidding document:
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons:
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of my criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings:
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the act, rules and the bidding document, which materially affects fair competition:

Date: Signature of bidder with seal

Place:

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 16:20:58 IST
Reason: Approved

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The Aditional Director Hostel, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur rajsthan

The designation and address of the Second Appellate Authority is The Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designate under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the firs Appellate Authority, the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Date: Signature of bidder with seal

Place:

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 16:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20419884

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

   i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

   ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

   iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

   i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

   ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall b e recovered from the supplier.

   iv.

Date: Signature of bidder with seal

Place

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 16:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

Annexure-E

It is to certify the the average annual turnover of M/s. …………………………...
……………………….
Address………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…
…………………………. For the last three financial years in supply of regarding work was :-

Sr. no.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (rs. In lakh)	Remarks
1-	2022-23		
2-	2023-24		
3-	2024-25		

Date:
Place:
Mob.no.

Signature of the auditor/seal
Charted accountant
(name and address)
Reg. No.

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 16:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

राजस्थान सरकार
कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, कोटा

ई–निविदा आमंत्रण सूचना सं. 04/2025–26

निविदा प्रपत्र (वित्तीय निविदा)

For BOQ Sample only

Rate not need to disclose here, only in BoQ in excel sheet

श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, के राजकाज पंत्राक 19517004 दिनांक 23.12.2025 की अनुपालना में कोटा जिले में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासो में उपयोग हेतु पलंग क्रय एवं आपूर्ति किये जाने हेतु रजिस्टर्ड बोनाफाईड विनिर्माता/फर्मो/संस्था/कम्पनी/एंजेसी से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ई दर संविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रस्तुत करनें वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता.................................

   ....

   ई–मेल आईडी ....मोबाईल.................................

2. प्रौपराईटर का नाम एवं स्थायी पता..
3. प्रौपराईटर का आधार कार्ड.................................
4. दरें समस्त करों सहित निम्नानुसार हैः–

S.no.	Item Description	Qty.	Unit rate (In INR) (inclusive of all govt. taxes, Transporatation Charges, other levie, duties including GST)	Total amount (in INR)(inclusive of all govt. taxes, Transportation charges, other levie,duties including GST)	Amount in words
	1	2	3	4=3*2	5
1	खेश	985			
2	बैडशीट	2075			
3	तकिया कवर	1095			
4	तकिया	1095			

नोट :–

1. दरे अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी है।
2 दरे समस्त करों सहित होगी एंव एफओआर जिले के अधीन संचालित छात्रावासों (सूची सलंग्न, Annexure-F) में करनी होगी।
3. निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही सामग्री स्वीकार्य होगी।
4. निविदा की दरें संलग्न B.O.Q. Excel Sheet में अंकित करनी होगी।

उपरोक्त सामग्री/सेवायें की निविदा के सन्दर्भ में जारी की गई समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुये सप्लाई करने को सहमत हूँ। आदेशित सामग्री/सेवायें नियत समय पर आपूर्ति करने को सहमत हूँ। निविदा की समस्त शर्तो को पढ़कर/समझकर उक्तानुसार दरें प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 16:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20419884

क्र.सं.	सामान का विवरण	स्पेसिफिकेशन	मात्रा
01	खेस	100 % Cotton fibre made by combed yarn All Fast ness properties should be good. Fabric should be not shrink after wash GSM: Minimum 150gm Size:150cmx250cm Weight:0.7kg or Above	अनुमानित (985)
03	बैडशीट	Printed Cotton bedsheet 100% cotton fibre made by combed yarn All Fast ness properties should be good. Fabric should be not shrink after wash GSM: Minimum 120gm Size:152cmx230cm Weight:0.7kg or Above	अनुमानित (2075)
04	तकिया कवर	Printed Pillow Cover 100 % Cotton fibre made by combed yarn All Fast ness properties should be good. Fabric should be not shrink after wash Size:42cmx65cm GSM: Minimum 120gm	अनुमानित (1095)
05	तकिया	Make: Bombay dyeing/Godrej/Sleepwell or equivalent Length:60CM Width:40CM Weight:700-800gm(Around) Height of Pillow at Center:170mm Body febric:Cloth plain weave Ployester cotton/synthetic Cotton	अनुमानित (1095)

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884

कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा

Annexure-F

कोटा जिले के राजकीय छात्रावासों में उपलब्ध करवाये जाने वाले बेडशीट तकिया, एवं तकिया कवर व खेस की अनुमानित संख्या सूची

क्र.स.	छात्रावास का नाम	तकिया	खेस	बेडशीट	तकिया कवर
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास दीगोद	35	25	70	35
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुल्तानपुर	25	0	75	25
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मंडावरा	25	0	50	25
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास इटावा	90	0	90	90
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास खातोली	35	0	70	35
6	राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास पीपल्दा	50	0	100	50
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सांगोद	75	150	150	75
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कमोलर	25	50	50	25
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बपावरकला	50	100	100	50
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास खैराबाद	50	100	100	50
11	राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास रामगंजमण्डी	50	25	100	50
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास छावनी	35	35	70	35
13	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनु0 जनजाति कन्या छात्रावास छावनी कोटा	100	0	200	100
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मालारोड़, कोटा	100	200	200	100
15	राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास छावनी	75	0	150	75
16	राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास नांता	50	0	50	50
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास महावीर नगर प्रथम	50	100	100	50
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कैथून	25	0	0	25
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कन्सुआ	50	100	100	50
20	राजकीय अनु0 जाति महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास विनोबा भावे नगर, कोटा	50	0	100	50
21	राजकीय देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास टेगौर नगर, कोटा	75	0	150	75
22	राजकीय देवनारायण आदर्श बालिका छात्रावास, विनोबा भावे नगर , कोटा	40	0	100	40
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग टैगोर नगर कोटा	50	100	100	50
24	राजकीय देवनारायण आर्दश बालक छात्रावास विनाबा भावे नगर कोटा	50	20	100	50
25	राजकीय पालनहार हाफ वे होम कन्सुआ, कोटा	0	0	50	0
	योग	**1095**	**985**	**2075**	**1095**

नोटः– उक्त संख्या सूची अनुमानित है जिसमें छात्रावासों के नाम, स्थान, आपूर्ति सामग्री किए जाने वाली सामग्री की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Krishnia
Designation : Joint Director
Date: 2026.02.09 15:20:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20419884